(2020) 13 एस.सी.सी.आर. 1235

सीलेन उर्फ जेयसेलन

प्रति

निरीक्षक पुलिस

विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं0 4206 वर्ष 2020, 16 दिसंबर, 2020

(रोहिंटन फली नरिमन, नवीन सिन्हा और के0 एम 0 जोसेफ, जेजे,

दंड संहिता, 1860ः धारा 376 (2)–याचिकाकर्ता की याचिका कि आरोप एस. 376 (1) के तहत था और एस. 376 (2) के तहत नहीं था–ताथ्यिक रूप से, आरोप धारा 376 के तहत लगाया गया था जिसमें धारा 376 (2) शामिल होगी–ताथ्यिक रूप से यह स्पष्ट बात थी कि पीड़िता जो केवल छह साल की थी, उसके साथ याचिकाकर्ता द्वारा बलात्कार किया गया था–पीड़िता और उसकी मां के साक्ष्य जो इस घटना के चश्मदीद गवाह थे, अभिलेखों पर उपलब्ध थे–विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई।

दाण्डिक अपीलीय क्षेत्राधिकारः विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) सं0 4206 वर्ष 2020

मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ के उच्च न्यायालय के आरसी (एमडी) सं0 520 वर्ष 2015 में पारित निर्णय और आदेश दिनांकित 22.07.1999 से

आर. बसंत, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. वेलन, सुश्री नवप्रीत कौर, श्री पाल सिंह, अधिवक्तागण, उपस्थित पक्षगण के लिए

न्यायालय का आदेश आर.एफ. नरिमन, जे. द्वारा पारित किया गया।

1–हमारा आदेश दिनांक 04.12.2020, अभिलेख:

"याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर. बसंत को कुछ समय तक सुनने के बाद, जब न्यायालय ने बताया कि धारा 376(2)(एफ) के तहत न्यूनतम सजा 10 वर्ष है, तो श्री बसंत ने बताया कि आरोप केवल धारा 376(1) के तहत था, धारा 376(2) के तहत नहीं।

यह मामला होने के कारण, हम श्री बसंत को वह आदेश प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं जिसमें आरोप तय किए गए हैं।

एक सप्ताह के बाद सूचीबद्ध हो।

2. हमने उन आरोपों का अवलोकन किया, जो तय किए गए हैं। आरोप न केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 376(1) के तहत था, जैसा कि श्री आर. बसंत ने बहस करने की मांग की थी, बल्कि धारा 376 के तहत भी था, जिसमें धारा 376(2) भी शामिल है।

3. जो भी हो, हमने पाया है कि इस तथ्य की एक समवर्ती स्पष्टता है कि पीड़िता, जो केवल 6 वर्ष की थी, के साथ याचिकाकर्ता द्वारा बलात्कार किया गया था। पीड़िता की गवाही के अलावा, उसकी मां की भी गवाही है, जो घटना की चश्मदीद गवाह थी।

4. यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की उम्र 18 वर्ष से अधिक है और वह पुंसक पाया गया, उसकी लुंगी बरामद कर ली गई और वह खुद फरार हो गया, जिसे घटना के 15 दिन बाद पकड़ लिया गया। दोनों अदालतों ने आरोपी की दलील दर्ज की है कि उसके पास केवल एक हाथ है, जिसके परिणामस्वरूप बलात्कार का कृत्य करना उसके लिए शारीरिक रूप से असंभव होगा। दोनों अदालतों ने मामले के इस पहलू पर विचार किया है और हम उनसे सहमत हैं – ऐसी कोई असंभवता नहीं है। हालाँकि, यह देखते हुए कि राज्य ने अपील दायर नहीं की है और यह घटना 20 साल पहले हुई है, हम विशेष अनुमति याचिका को धारा 376 (2) की तह में जाए बिना खारिज करते हैं और क्या न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा. कम करने के लिए तथ्यों पर मामला बनता है।

5. विशेष अनुमति याचिका, तदनुसार, निरस्त की जाती है।

देविका गुजराल विशेष अनुमति याचिका निरस्त

Seema Verma
Addl. District Judge,
Shamli